

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाडा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 289/2016

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

रामलाल पिता हीरा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी जावल तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. देबी पिता नन्दा बलाई उम्र वयस्क निवासी जावल तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. भोजा पिता छोटु बलाई उम्र वयस्क निवासी जावल तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. लादु पिता देवा बलाई उम्र वयस्क निवासी जावल तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. श्यामनाथ पिता मांगीनाथ उम्र वयस्क निवासी जावल तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये भू धारक तहसीलदार साहब कोटडी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक 11-2-17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11/02/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जावल, पटवार हल्का जावल, भू.अ. क्षेत्र मंशा, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 861 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 862 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 987 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 988 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 982 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 986 रकबा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक मंशा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम जावल, पटवार हल्का जावल, भू.अ. क्षेत्र मंशा, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 861 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 862 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 987 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 988 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 982 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 986 रकबा 1 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 700 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आदेशक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

तहसीलदार कोटडी

तहसीलदार कोटडी